

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-11/चक0-28(क)-05/2022-1104/चक0, दिनांक 07/10/22

बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 4(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजा कच्चुनाला, थाना नं0 108, अंचल- दिघलबैंक, जिला- किशनगंज को चकबंदी अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन निर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से रद्द की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-11/चक0-26(क)-05/2022-1104/चक0, दिनांक 07/10/22

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी0डी0 सहित)/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-11/चक0-26(क)-05/2022-1104/चक0, दिनांक 07/10/2022

प्रतिलिपि -अपर समाहर्ता-सह-उप निदेशक, चकबंदी किशनगंज/अंचलाधिकारी-सह -चकबंदी पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।